

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक 8/3/23

श्री राकेश पानेरी,
अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन)
उदयपुर।

विषय:- दिनांक 21.03.23 से 23.03.23 तक "Women safety for Prosecutor Judiciary and police Officer" विषय पर उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, उमसाव, मेघालय में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।
सन्दर्भ:- निदेशक, उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, उमसाव, मेघालय का पत्र दिनांक 14.02.23 एवं इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, उमसाव, मेघालय ने सन्दर्भित पत्र दिनांक 14.02.23(प्रति संलग्न) प्रेषित कर दिनांक 21.03.23 से 23.03.23 तक उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, उमसाव, मेघालय में "Women safety for Prosecutor Judiciary and police Officer" विषय पर प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया है।

उक्त प्रशिक्षण में इस विभाग के पत्र दिनांक 08.03.22 द्वारा 05 विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक, महिला उत्पीडन को भाग लेने हेतु मनोनीत किया गया था। उक्त पत्र दिनांक 08.03.22 के क्र०सं० 4 पर अंकित डॉ० गिरधारी लाल शर्मा, अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन) उदयपुर के स्थान पर श्री राकेश पानेरी, अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन) उदयपुर (मोबाइल नं० 9414385792) संशोधित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, उत्तर पूर्वीय पुलिस एकेडमी, उमसाव, मेघालय को सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. संबंधित न्यायालय।
3. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

Signature Not Verified

Digitally signed by Anupama Rajeev
Bijlani
Designation : Secretary
Date: 2023.03.08 17:20:35 IST
Reason: Approved